E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
संचिका सं0–03/भू0अ0नि0 (5) अपील–41/2023..........................

आदेश

निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा पारित आदेश सं0–5418 दिनांक–03.07.2023 के विरूद्ध अपीलार्थी मो0 अजहर इकबाल, (Emp. ID No.- AEN02555), संविदा समाप्त पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन, बन्दोबस्त कार्यालय, जमुई द्वारा "बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम–8(4)" में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील दायर किया गया है।

निर्धारित तिथि एवं समय पर अपील की सुनवाई की गयी।

उभय पक्ष उपस्थित।

अपीलार्थी का वाद संक्षिप्त रूप में निम्नवत है:–

मो0 अजहर इकबाल, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN02555) के विरूद्ध कार्य में शिथिलता, बैठक में अनुपस्थित रहने के साथ–साथ कार्यालय से लगातार गायब रहने का आरोप प्रतिवेदित करते हुए अपर समाहर्त्ता–सह प्रभारी पदाधिकारी, जमुई ने अपने पत्रांक 277 दिनांक 28.04.2023 द्वारा चयन मुक्त करने की अनुशंसा की है।

अपर समाहर्त्ता–सह प्रभारी पदाधिकारी, जमुई से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निदेशालय द्वारा दिनांक 23.05.2023 को अपीलार्थी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। अपीलार्थी द्वारा निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है। स्पष्टीकरण में अपीलार्थी ने उल्लेख किया है कि मैंने अपने आवंटित राजस्व ग्राम में प्रपत्र–6 के अपलोडिंग का कार्य पूर्ण कर लिया है। अपीलार्थी द्वारा यह भी अंकित किया गया है कि ये प्रतिदिन कार्यालय में उपस्थित रहते है।

प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा में पाया गया कि मो0 इकबाल द्वारा अपने कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा किया गया है अथवा नही, अंकित नहीं किया है। एम0आई0एस0 सॉफ्टवेयर से प्राप्त विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि राजस्व ग्राम–लकड़ा (8) जिसमें कुल खेसरों की संख्या 936 है, का खानापुरी कार्य 28.03.2022 से प्रारंभ कर दिनांक 07.12.2022 तक कुल 254 दिनों में समाप्त किया गया है। शिविर स्कैन रिर्पोट के अनुसार प्रपत्र–6 के अपलोडिंग का कार्य भी अपूर्ण पाया गया। अपीलार्थी द्वारा अपने उपर लगे आरोपों के विरूद्ध कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने तथा अपीलार्थी के द्वारा गलत आंकड़ा देने के कारण स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 5418 दिनांक 03.07.2023 के द्वारा अपीलार्थी का संविदा नियोजन समाप्त किया गया है।

अपीलार्थी का कथन है कि इन्होंने प्रपत्र–6 इन्ट्री, सीमा सत्यापन, किस्तवार कार्य, खानापुरी कार्य तथा यादास्त लेखन का कार्य किया है। लकड़ा मौजा का प्रपत्र–6 इंट्री कार्य भी पूर्ण किया है। अपीलार्थी का आगे कहना है कि लकड़ा मौजा का कैडेस्ट्रल मैप एवं खतियान अनुपलब्ध था जिसकी सूचना शिविर प्रभारी एवं मुख्यालय को दिया गया था। इन्होंने लकड़ा के अतिरिक्त सिकन्दरा अंचल के राजस्व ग्राम–बसैया एवं अलीगंज अंचल के के सगमा मौजा का तेरिज लेखन का कार्य किया गया है। डेंगू से पीड़ित होने के कारण सर्वे कार्य में कुछ विलम्ब हुआ है।

बन्दोबस्त पदाधिकारी, जमुई द्वारा प्राप्त मंतव्य के अनुसार अपीलार्थी बन्दोबस्त कार्यालय, जमुई में कुल 1028 दिन सेवा समर्पित की है। 1028 दिनों में मात्र 936 खेसरों का खानापुरी कार्य किया गया है, जो निर्धारित लक्ष्य के विपरीत है। बसैया मौजा सिंकदरा अंचल में है, जबकि सगमा मौजा अलीगंज अंचल में है। प्रथम चरण में इन दिनों ही अंचलों में विशेष सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। अपीलार्थी द्वारा बसैया एवं सगमा मौजा में कार्य किये जाने से संबंधित गलत तथ्य उपस्थापित किया है।

दाखिल अपील तथा उसपर निदेशालय का मंतव्य एवं संलग्न साक्ष्यों का विवेचना किया गया। विवेचनोपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा मौजा–लकड़ा का खानापुरी कार्य दिनांक–28. 03.2022 से 07.12.2022 तक किया गया है। मात्र 936 खेसरा का खानापुरी कार्य 254 दिनों में किया जाना, अत्याधिक विलंब को दर्शाता है। ज्ञातव्य हो कि विशेष सर्वेक्षण एक समयबद्ध कार्यक्रम है जिसके विभिन्न चरणों का समय निर्धारित हैं।

अपील अभ्यावेदन के साथ संलग्न अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी कुल 52 दिन (हड़ताल अवधि सहित) अनुपस्थित रहे है, जो स्वयं इनके अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना सिद्ध करता है।

अपीलार्थी के दिनांक–11.06.2022 के अमीन डायरी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा– लकड़ा, थाना–08 का CS मानचित्र उपलब्ध है। अपीलार्थी द्वारा स्वयं अमीन डायरी में अंकित किया गया है कि– श्री कुश कुमार के साथ लकड़ा, थाना नं0–08 का कैडेस्ट्रल नक्शा लेकर ओवरलैप ठीक करवाने मुख्यालय गया ।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है अपीलार्थी द्वारा सिकंदरा अंचल के बसैया मौजा तथा अलीगंज के सगमा मौजा में कोई काम नही किया गया है। अपीलार्थी द्वारा दाखिल मेडिकल रिर्पोट/चिकित्सा पूर्जा के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इन्हें 'डेंगू' नहीं हुआ था। डॉ0 ए0 के0 सिन्हा के चिकित्सा पूर्जा में Fever, Cold, Loose Motion का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा 'डेंगू' के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया है।

उक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो इन पर लगे आरोप को खंडित करता हो। विशेष सर्वेक्षण एक समयबद्ध कार्यक्रम् है। विशेष सर्वेक्षण कार्य एक समयबद्ध कार्यक्रम है इस कार्यक्रम के अंतर्गत सर्वे के विभिन्न अवयव/प्रक्रम हेतु समय–सीमा निर्धारित है, जिससे सभी विशेष सर्वेक्षण कर्मी अवगत है। निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा उपरोक्त मामले में की गई कार्रवाई में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नही है।

अतः मो0 अजहर इकबाल, (Emp. ID No.- AEN02555), संविदा समाप्त पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन, बन्दोबस्त कार्यालय, जमुई द्वारा दायर अपील को अस्वीकृत किया जाता है।

ह0/–
अपर मुख्य सचिव–सह–
अपीलीय प्राधिकार

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

E-Mail

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (5) अपील–41/2023....13211.....**पटना, दिनांक :–** 07/08/2024

प्रतिलिपिः– मो0 अजहर इकबाल, (Emp. ID No.- AEN02555), संविदा समाप्त पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन, बन्दोबस्त कार्यालय, जमुई, Email ID- azhar786iqwal@gmail.com को सूचनार्थ प्रेषित।

07.8.24
उप निदेशक–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (5) अपील–41/2023......13211......**पटना, दिनांक :–**...07/08/2024...

प्रतिलिपिः– बन्दोबस्त पदाधिकारी, जमुई/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), जमुई को सूचनार्थ प्रेषित।

07/8/24

उप निदेशक–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (5) अपील–41/2023......13211......**पटना, दिनांक :–**...07/08/2024...

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

07/8/24

उप निदेशक–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (5) अपील–41/2023......13211......**पटना, दिनांक :–**...07/08/2024...

प्रतिलिपिः– निदेशक कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

07/8/24

उप निदेशक–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (5) अपील–41/2023......13211......**पटना, दिनांक :–**...07/08/2024...

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

07/8/24

उप निदेशक–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (5) अपील–41/2023......13211......**पटना, दिनांक :–**...07/08/2024...

प्रतिलिपिः– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

07/8/24

उप निदेशक–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप